



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 742]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 24 अक्टूबर, 2016

सं. फेमा. 374/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(बारहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 1003(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा सं. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, (दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी), की अनुसूची 5 में,

ए. पैराग्राफ 1 में.

(ए) वर्तमान खंड (बी) में, “सूचीबद्ध” शब्द हटाया जाएगा;

(बी) वर्तमान खंड “(जी)” एवं खंड “(जे)” को हटाया जाएगा

(सी) वर्तमान खंड (एम) के बाद, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“(एन) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, जिसमें शामिल हैं (i) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या एनबीएफसी के साथ प्रवर्तक के रूप में आस्ति/आस्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु गठित किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र या लिखत; और/अथवा (ii) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों के सार्वजनिक प्रस्ताव और सूचीबद्धता पर सेबी विनियमावली, 2008” के संदर्भ में निर्गमित और सूचीबद्ध कोई प्रमाणपत्र या लिखत”।

बी. पैराग्राफ 1 सी में,

(ए) वर्तमान खंड (बी) में, “सूचीबद्ध” शब्द हटाया जाएगा;

(बी) वर्तमान खंड “(जी)” एवं खंड “(जे)” को हटाया जाएगा

(सी) वर्तमान खंड (एम) के बाद, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“(एन) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, जिसमें शामिल हैं (i) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या एनबीएफसी के साथ प्रवर्तक के रूप में आस्ति/आस्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु गठित किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र या लिखत; और/अथवा (ii) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों के सार्वजनिक प्रस्ताव और सूचीबद्धता पर सेबी विनियमावली, 2008” के संदर्भ में निर्गमित और सूचीबद्ध कोई प्रमाणपत्र या लिखत”।

[फा. सं. 4/43/2015-ईसीबी]

टी. रवि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

मूल नियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं.406 (अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:-

जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003

जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003

जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003

जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003

जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004

जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004

जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004

जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004

जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005

जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005

जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
जी.एस.आर. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
जी.एस.आर. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
जी.एस.आर. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
जी.एस.आर. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
जी.एस.आर. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
जी.एस.आर. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
जी.एस.आर. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
जी.एस.आर. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
जी.एस.आर. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
जी.एस.आर. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014

जी.एस.आर. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
जी.एस.आर. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
जी.एस.आर. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
जी.एस.आर. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
जी.एस.आर. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
जी.एस.आर. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
जी.एस.आर. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
जी.एस.आर. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
जी.एस.आर. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
जी.एस.आर. सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th October, 2016

No. FEMA. 374/2016-RB

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Twelfth Amendment) Regulations, 2016**

G.S.R. 1003(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. Short Title & Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Twelfth Amendment) Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), in Schedule 5,

A. In paragraph 1,

- (a) in the existing clause (b), the words, “ listed” shall be deleted
- (b) the existing clause ‘(g)’ and clause ‘(j)’ shall be deleted
- (c) after existing clause (m), the following shall be added, namely:-

“(n) securitised debt instruments, including (i) any certificate or instrument issued by a special purpose vehicle (SPV) set up for securitisation of asset/s with banks, FIs or NBFCs as originators; and/or (ii) any certificate or instrument issued and listed in terms of the SEBI “Regulations on Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments, 2008.”

B. In paragraph 1C,

- (a) in the existing clause (b), the words, “ listed” shall be deleted
- (b) the existing clause ‘(g)’ and clause ‘(j)’ shall be deleted
- (c) after existing clause (m), the following shall be added, namely:

“(n) securitised debt instruments, including (i) any certificate or instrument issued by a special purpose vehicle (SPV) set up for securitisation of asset/s with banks, FIs or NBFCs as originators; and/or (ii) any certificate or instrument issued and listed in terms of the SEBI “Regulations on Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments, 2008.”

[F. No. 4/43/2015-ECB]

T. RABI SANKAR, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:-

- G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001
- G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001
- G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001
- G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002
- G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002
- G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
- G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
- G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003
- G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
- G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003
- G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
- G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
- G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
- G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004
- G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
- G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
- G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
- G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
- G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005
- G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005
- G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005
- G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006
- G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006
- G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007
- G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007
- G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007
- G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008
- G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
- G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
- G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010

G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R. No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R. No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R. No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R. No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R. No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R. No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R. No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R. No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R. No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R. No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R. No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R. No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R. No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R. No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R. No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R. No. 983 (E) dated 17.12.2015
G.S.R. No. 165 (E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 166 (E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 369 (E) dated 30.03.2016
G.S.R. No. 537 (E) dated 20.05.2016
G.S.R. No. 879 (E) dated 09.09.2016